भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4076

दिनांक 12.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

मिशन भागीरथ

4076. श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमाडा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मिशन भागीरथ के लिए हुडको द्वारा तेलंगाना पेयजल आपूर्ति निगम लिमिटेड (टीडीडब्ल्यूएससीएल) को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन घरों की संख्या कितनी है जिन्हें मिशन भागीरथ के अंतर्गत पेयजल नल उपलब्ध कराए गए हैं और लाभार्थियों के रूप में चिह्नित किए गए घरों की संख्या कितनी है;

(ग) उन गांवों के नाम क्या हैं जहां मिशन भागीरथ के तहत शत-प्रतिशत घरों को नल द्वारा शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है;

(घ) क्या हुडको द्वारा दिए गए ऋणों के व्यय की निगरानी के लिए हुडको का कोई तंत्र विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और हुडको, नाबार्ड जैसी ऋण देने वाली संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने टीडीडब्ल्यूएस सीएल को ऋण दिया है और तत्संबंधी तिथि सहित कितनी धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) जैसा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, हुडको ने 3,188.52 करोड़ की परियोजना लागत के मुकाबले तेलंगाना पेयजल आपूर्ति निगम लिमिटेड (टीडीडब्ल्यूएससीएल) को दिनांक 18.03.2015 को 2,500.00 करोड़ रुपए का ऋण संस्वीकृत किया था। इस परियोजना में राज्य के 6 जिलों नामतः वारंगल, खाम्मम, करीम नगर, मेडक, आदिलाबाद और नलगोंडा (तेलंगाना के पूर्ववर्ती अविभाजित जिले) को कवर करने वाली योजना के 15 खंडों के विकास का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, एक अन्य स्कीम में हुडको ने 2,500.00 करोड़ की परियोजना लागत के मुकाबले तेलंगाना पेयजल आपूर्ति निगम लिमिटेड को दिनांक 01.09.2016 को 2,250.00 करोड़ रुपए का ऋण संस्वीकृत किया था। इस परियोजना में 3 खंडों नामतः महबूब नगर जिले में जुराला खंड, नलगोंडा जिला में मिरयालागुडा-हुजूर नगर खंड, वारंगल जिला में एचएमडब्ल्यूएसएसबी खंड में स्कीम के विकास का प्रावधान किया गया है।

(ख), (ग) और (ड.) मिशन भागीरथ राज्य सरकार की एक स्कीम है तथा राज्य सरकार द्वारा इस बारे में सूचना अभी उपलब्ध कराई जानी है।

(घ) हुडको द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, टीडीडब्ल्यूएससीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रगति रिपोर्टों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के आधार पर जारी ऋणों का नियमन किया जा रहा है तथा आवधिक स्थल निरीक्षणों के माध्यम से वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की निगरानी की जाती है।